


फर्द अहकाम

उपमंडल अधिकारी चाउड
 एजारी बनाम कड़ी
 संख्या / वर्ष : 14 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२५/५/२५	<p>पत्रावली पेश हुई वहील जारी उपन अप्रार्थिगण की लम्बी जरिए R.R. AD ले जारी होकर पत्रावली दिनांक २५/५/२५ को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  उपमंडल अधिकारी उपमंडल, चाउड, (५/२५/१९) </p>	
२५/६/२५	<p>पत्रावली पेश हुई वहील जारी उपन अप्रार्थिगण को लम्बन जरिए डाड ले भेजे एक माह ले अधिक का लम्बन हो चुका है। लम्बन अलग तामिल लेटर प्राप्त नहीं अतः तामिल लम्बन मानी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">लम्बन तामिल</p> <p>ले उपरान्त अप्रार्थिगण हाजीर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">बदल वहील जारी की पुनने व पत्रावली का</p>	

२५/६/२५ पत्रावली पेश हुई / २५/६/२५ साइब / कार्य
 अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
 दिनांक २५/६/२५ को पेश हो

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अपलोड करने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त सूत्रि में लक्ष्मणदेवर हैं एवं वादग्रस्त सूत्रि का विधिकत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण १. ७ में उल्लेखित सूत्रि पर अग्रपत्रों को लॉर्डलतावाद रिकॉर्ड व भौंडे की प्रथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के तल शमार होकर पत्र नम्बर ले कम है।</p> <p style="text-align: right;">(36) उपखण्ड अधिकारी बाकसू (जयपुर)</p>